न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 16/2020 अपील प्रकरण में प्रार्थना पत्र (आदेश 7 नियम 11)

1. बालू पुत्र कजोड जाट निवासी बल्याखेडा मजरा देवली तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

बनाम

1. देवी सिंह पिता बड़द सिंह राजपूत निवासी पीथास तहसील कोटडी मृतक के बजाय का.मु. –
   1/1 नन्द सिंह पिता देवी सिंह राजपूत निवासी पीथास तहसील कोटडी
   1/2 हेमसिंह पुत्र देवीसिंह राजपूत
   1/3 राजेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत
   1/4 सम्पत सिंह पुत्र देवी सिंह राजपूत निवासीयान पीथास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी
3. जिंदल शॉ लिमि. तिरंगा पहाडी क पास, पुर जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

– विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 23 सिलिंग एक्ट में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

उपस्थित –

1. श्री रामनिवास गुप्ता अधिवक्ता – प्रार्थी जिन्दल सॉ लि., पुर, भीलवाडा की ओर से
2. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – विपक्षी /अपीलार्थी बालू जाट की ओर से

आदेश

दिनांक 09.09.2021

प्रकरण में प्रार्थी जिन्दल सॉ लि. तिरंगा पहाडी के पास पुर, भीलवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का दिनांक 26.03.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा एस.डी.ओ. माण्डलगढ़ के प्रकरण संख्या 10/71 सरकार बनाम बड़द सिंह राजपूत में सिलिंग कार्यवाही दिनांक 17.09.1971 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा बड़द सिंह के विरूद्ध चली सिलिंग कार्यवाही के निर्णय को धारा 23 सिलिंग एक्ट, 1973 के अन्तर्गत प्रश्नगत बनाया है। अपीलार्थी द्वारा अपील ज्ञापन में दर्ज किये गये अभिवचनों से स्पष्ट हैं, कि उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ द्वारा सन् 1971 में पारित बड़द सिंह के विरूद्ध सिलिंग कार्यवाही के निर्णय को सिलिंग एक्ट 1973 के अन्तर्गत प्रश्नगत बनाया है जो कि विधितः पोषणीय नहीं है, क्योंकि उक्त सिलिंग एक्ट 1973 एसडीओ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.1971 के समय अस्तित्व में ही नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने विधि की व्यवस्था का दुरूपयोग करते हुए वर्तमान अपील पेश की है, जिसे खारिज करने से भिन्न अन्य कोई विकल्प विद्यमान नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील विधि की व्यवस्था के अनुसार चलने योग्य ही नहीं है और माननीय न्यायालय को भी विविधतः श्रवणाधिकारिता हासिल नहीं है। इसी प्रकार अपीलार्थी को वर्तमान अपील प्रस्तुत करने का कोई Locus-Standi हासिल नहीं है। अतः आवेदन प्रत्यर्थी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने की आज्ञा प्रदान करें।

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलार्थी अधिवक्ता को दिलायी गयी। अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 का जवाब पेश नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

प्रार्थी जिंदल सॉ लिमि. पुर के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि अपीलार्थी द्वारा एस.डी.ओ. माण्डलगढ़ के प्रकरण संख्या 10/71 सरकार बनाम बड़द सिंह राजपूत में सिलिंग कार्यवाही दिनांक 17.09.1971 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा बड़द सिंह के विरूद्ध चली सिलिंग कार्यवाही के निर्णय को धारा 23 सिलिंग एक्ट, 1973 के अन्तर्गत प्रश्नगत बनाया है। अपीलार्थी द्वारा अपील ज्ञापन में दर्ज किये गये अभिवचनों से स्पष्ट हैं, कि उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ द्वारा सन् 1971 में पारित बड़द सिंह के विरूद्ध सिलिंग कार्यवाही के निर्णय को सिलिंग एक्ट 1973 के अन्तर्गत प्रश्नगत बनाया है जो कि विधितः पोषणीय नहीं है, क्योंकि उक्त सिलिंग एक्ट 1973 एसडीओ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.1971 के समय अस्तित्व में ही नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने विधि की व्यवस्था का दुरूपयोग करते हुए वर्तमान अपील पेश की है, जिसे खारिज करने से भिन्न अन्य कोई विकल्प विद्यमान नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील विधि की व्यवस्था के अनुसार चलने योग्य ही नहीं है और माननीय न्यायालय को भी विविधतः श्रवणाधिकारिता हासिल नहीं है। इसी प्रकार अपीलार्थी को वर्तमान अपील प्रस्तुत करने का कोई Locus-Standi हासिल नहीं है। अतः आवेदन प्रत्यर्थी स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने की आज्ञा प्रदान करें। प्रार्थी जिंदल सॉ लिमि. पुर, भीलवाडा के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के समर्थन में विधिक दृष्टान्त आर आर डी 1988 पीपी 160, आर आर डी 1991 पीपी 257 + 435, आर आर डी 1992 पीपी 435, आर आर डी 1992 पीपी 139, आर आर डी 1990 पीपी 638 + 639, सिलिंग एण्ड एग्रीकल्चरल होल्डिंगस एक्ट 1973 (से. 23–11बी, से. 19, से. 21), (2010) 4–एस सी सी पीपी 728, 2018–19 (सप.)आर आर टी पीपी 581, (2014) 11–एस सी सी पीपी 619, सीपीसी सेक्शन 141–151, आर आर डी 1985 पीपी 170, नेट कोपी ऑफ जजमेण्ट ए आई आर 1994 सेक्शन 853, नेट कॉपी ऑफ जजमेण्ट ऑफ मान. सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील नं. 9488–9489 निर्णय दिनांक 17.12.2019, (2016) 3 डीएनजे–राज. पीपी 146, आर आर डी 1997 पीपी 197+481, (2009) 1 डीएनजे (राज.)पीपी 410, 2018 (3) आर एल डब्ल्यू पीपी 2097 पेश किये हैं।

विपक्षी/अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र केवल मात्र वादपत्र में लगता हैं, वादपत्र के अलावा अन्य किसी भी प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 पोषणीय नही हैं। जैसे कि सी पी सी 1908 पेज 109 मे स्पष्ट अंकित कर रखा है। वादपत्र का नामंजूर किया जाना एवं आदेश 7 नियम 11 क,ख, ग, घ, ड, च में कहीं भी अपील शब्द अंकित नहीं हैं। केवल वाद या दावा अंकित हैं। रेस्पोडेण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि नये सिलिंग एक्ट के तहत अपील पेश करने का अधिकार नहीं हैं। इस संबंध में निवेदन हैं कि जब पुराना एक्ट समाप्त कर उसके स्थान पर नया एक्ट प्रभाव में आता हैं, तो व्यथित

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

पक्षकार अपील पेश करने के समय जो कानून (विधि) प्रचलन में हैं, उसी के तहत अपील पेश करेगा, नये कानून के तहत अपील पेश करने के संबंध में कई न्यायिक दृष्टान्त हैं। निवेदन हैं कि रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 जा.दी. सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रथम दृष्टया विधि में पोषणीय नही होने से खारिज किया जाने का आदेश प्रदान करावें। अपीलार्थी अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 पेज नं. 109, 2021 (1) आर आर टी 145, 2008(1) आर आर टी 597 पेज 597, 2020 डीएनजे (रेवे.) 33, 2020 डीएनजे (रेवे.) 34, 2016–17 (सप.) आर आर टी 175, आर आर टी 2016(2) पेज 971 पेश किये।

विपक्षी / अपीलार्थी की बहस उपरान्त प्रार्थी जिन्दल सॉ लिमि. के अधिवक्ता ने रिवटल (खण्डन) में बताया कि विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान केवल मात्र दावे पर लागू होते हैं। जबकि ऐसा नही होकर धारा 141 सी पी सी मे प्रावधान हैं कि जो नियम दावा पर लागू होते हैं, वे ही नियम प्रकरण में अनुपूरक कार्यवाही पर भी लागू होते हैं। इसी प्रकार धारा 151 सी पी सी में भी प्रावधान हैं कि न्यायहित में न्यायालय में अन्तर्निहित शक्तियों को उपयोग किया जाकर वाद बाहुल्यता को रोका जा सकता हैं।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी द्वारा बड़द सिंह के विरूद्ध चली सिलिंग कार्यवाही के निर्णय को धारा 23 सिलिंग एक्ट, 1973 के अन्तर्गत प्रश्नगत बनाया है।

जबकि धारा 23 सिलिंग एक्ट अनुसार –

अपीलें :– (1) धारा 11 ख की उप धारा (3) के अधीन या धारा 19 की उप धारा (3) के अधीन या धारा 21 के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारी के किसी विनिश्चय या आदेश से असन्तुष्ट राज्य सरकार या कोई व्यक्ति, विनिश्चय या आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, उस विनिश्चय या आदेश के विरूद्ध संबंधित जिले के कलक्टर को अपील करेंगें।

धारा 11 ख की उप धारा (3) :– यदि अन्तिम विवरण पत्र तैयार हो जाने के बाद पूरक विवरणी तैयार की जाती है, तो प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच जो वह उचित समझे, करने के बाद, पूरक विवरणी के आधार पर एक पूरक ड्राफ्ट विवरण पत्र तैयार करेगा तथा उस ड्राफ्ट विवरण पत्र को तैयार करने एवं उसकी तामील कराने के लिए धारा 12 में प्रवाहित की गयी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा। इसके बाद वह एक आदेश द्वारा उस पूरक ड्राफ्ट विवरण पत्र पर आपत्तियों के बारे में विनिश्चय करेगा और तब वह एक पूरक अन्तिम विवरण पत्र तैयार करेगा जो धारा 13 में प्रवाहित किये गये तरीके से तामील किया जाएगा एवं प्रकाशित किया जाएगा। धारा 13 के अधीन एक पूरक अन्तिम विवरण पत्र तथा अन्तिम विवरण पत्र के संबंध में इस अधिनियम में अन्य समस्त प्रावधान उस पर लागू होंगें।

धारा 19 अवाप्ति के लिए राशि का अवधारणा :– (1) राज्य सरकार धारा 16 के अधीन उसमें निहित समस्त भूमि के लिए अवाप्ति की राशि का उस व्यक्ति को, जिसे अन्तिम विवरण पत्र की तामील की गयी है, भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगें।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

(3) उप धारा 2 के अधीन अवाप्ति की राशि के लिए क्लेम के विवरण पत्र की प्राप्ति पर, प्राधिकृत अधिकारी – (क) उस विवरण पत्र की एक प्रति उस विवरण पत्र में दिये गये ब्यौरों की सत्यता या अन्यथा के बारे में तथ्य विशेष रूप से उस भूमि के क्षैत्र के बारे में जो राज्य सरकार में निहित हुयी है, उसके वर्गीकरण एवं सुधार की शर्तों के बारे मे एक माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उस तहसीलदार को भेजेगा जिसमें निहित की गयी भूमि स्थित हैं।

धारा 21 भूमिहीन व्यक्तियों को निहित भूमि का आवंटन :– धारा 16 के अधीन राज्य सरकार में निहित अधिशेष भूमि, अधिशेष भूमि के ऐसे क्षैत्र को जो कृषि की उन्नति कृषि जनसंख्या के कल्याण एवं क्षेत्र के आर्थिक विकास के प्रयोजनों के लिए निदेशित की गयी हो, आरक्षित रखने के बाद उस गांव के भूमिहीन श्रमिकों में विशेष कर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों में उस प्राधिकारी द्वारा, ऐसे तरीके से, ऐसी सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो निहित की जाए, प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की जाएगी।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 10/71 अन्तर्गत सिलिंग एक्ट में पारित निर्णय के विरूद्व अपील पेश की हैं, जबकि धारा 23 में जो प्रावधान अंकित है, उसके अनुसार यह अपील धारा 23 में कवर नहीं होती है। अपीलार्थी प्रकरण में अन्तरिती है तथा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों के अनुसार अन्तरिती को धारा 23 में अपीलीय अधिकार नहीं हैं। साथ ही अपीलीय प्रकरण की विषय वस्तु से संबंधित अपीलार्थी ने एक अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में प्रकरण संख्या अपील/टीए/185/2019 प्रस्तुत कर रखी हैं, जो न्यायालय में जैरकार हैं। इस प्रकार अपीलार्थी ने न्यायालय में वाद बाहुल्यता को बढावा दिया हैं, जिसमें धारा 151 सी पी सी की स्पष्ट उल्लघंना प्रतीत होती हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार विपक्षी संख्या 03/प्रार्थी जिन्दल सॉ लि. तिरंगा पहाडी के पास पुर, भीलवाडा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता स्वीकार किया जाता हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 09.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा